

27/09/24

पत्रावली पेश हुई... बहुसंख्यक उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महो०... सतकेश पर है। साबिक कार्यवाही हेतु दि०... 28.10/24 को पेश हो।

28.10.24

पत्रावली पेश हुई निगराकार के आभिमोक्ष्य उपाधिका साबिक आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20.10.24 को पेश हो।

30.10.24

पत्रावली पेश हुई। विद्वान आभिमोक्ष्य निगराकार स्व गौरानिगराकार उपाधिका

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की सचि कुचन दिनांक 10.06.2016 के अवलोकन से प्रकर है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप धारा (2) सपक्षित धारा 337 के अन्तर्गत सदत शक्तिधरो का प्रयोग करते हुये प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त, महोदय को उक्त धारा 73 के अधिन कमानि के अन्तर्गत प्रौर संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करमे हेतु प्राधिकृत किया हुआ है। ऐसे में स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में इस प्रायालय को सुनवाई का आधिकार नहीं है। अतः निगरानी इस प्रायालय के प्रवर्ताधिकार में नहीं होये से खासि की जाती है। पत्रावली केसमे से सुभर होकर बाद तकमिल कारकिल दस्तान से। दिनांक 30.10.24 को स्वुछे प्रायालय के सुनाया गया।

पके श्री
प.स. महोदय

अति० जिला कलेक्टर
बूंदी (राज०)